फर्द अहकाम

प्रतापसिंह वगै0 बनाम सुगनसिंह वगै0

यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 146/2024

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.12.2024	अधिवक्ता श्री राम सिंह द्वारा वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	3/1/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/2/25 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

वाद पत्र सं0..146./2024

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0

1. प्रताप सिंह पुत्र सुमेर सिंह
2. रामसिंह पुत्र सुमेर सिह
3. सौभाग कंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

...........वादी

बनाम

1 सुगनसिंह पुत्र गुमान सिह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान।

2 हनुवन्त सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान ।

3 तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

...........प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ऐ0

श्रीमानजी,

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता खाता संख्या नया 251 खाता संख्या पुराना 217 की आराजी खसरा नंबर 229 रकबा 1.3530 हैक्टेयर खसरा नंबर 409/226 रकबा 1.2771 हैक्टेयर कुल रकबा 2.6301 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा, पटवार हल्का मुरलीपुरा, भू0अभि0नि0क्षेत्र हिगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में अंकित है तथा आराजी खसरा नम्बर 411/229 रकबा 0.9484 हैक्टेयर वाके ग्राम मुरलीपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान मे स्थित है उक्त दोनो आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है।

2. यह कि वादीगण अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा वादीगण की आराजीयात के लगवा आराजी खसरा नम्बर 411/229 रकबा 0.9484 हैक्टेयर स्थित है जिस पर भी बुर्जगान के समय से वादीगण ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । लेकिन प्रतिवादी सं01 ने पूर्व मे न्यायालय से एक पक्षीय डीग्री करवाकर उक्त खसरा नम्बर का तकासमा करवा कर अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लीया है । जबकी उक्त आराजीयात पर केवल मात्र वादीगण ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी सख्या 01 आये दिन वादीगण की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई मरतबा मना किया तथा विवादग्रस्त आराजी का विभाजन पुनः दुबारा करने को कहा लेकिन प्रतिवादी विभाजन न करवाकर अनाधिकृत रूप से वादीगण के हिस्से की आराजीयात पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रतिवादी सं01 वादीगण की

आरजीयात पर जबरन निर्माण करना चाहते है। तथा प्रतिवादी अपने नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुये खसरा नम्बर 229 पर भी कब्जा करने पर आमादा है । जिसके फलस्वरूप आये दिन लडाई झगडा कर पुलिस थाना जोबनेर मे झुठे मुकदमे दर्ज करवाते है ।

3. यह कि वादीगण दिनांक 18.11.2024 को अपनी आराजीयात की बाजोज करने लगा तो प्रतिवादी सख्या 01 जबरन प्रतिवादी सख्या 02 से मिलकर विवादग्रस्त आराजीयात पर जबरन फव्वारा पाईप डालकर सिचाई करने लगे जिस पर वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने लगे तब बड़ी मुश्किल से वादीगण ने प्रतिवादी सं01व 02 को रोका लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी की आयन्दा तुम्हारी जमीन में कब्जा कर जबरन बाजोत कर लेगे तथा भूमाफिया को बेचान कर देंगे और तुम्हे बेदखल कर देंगे। जिससे वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि प्रतिवादीगण सं01 ने वादीगण की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण करके वादी को बेदखल कर भूमाफिया को बेचान कर दिया तो वादी को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

5. यह कि वाद कारण विरूध प्रतिवादीगण सं01 ल02 दिनांक 18.11.2024 को वादीगण की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से फव्वारा पाईप डालकर सिचाई करने की कोशिश करने एवं वादीगण

को बेदखल करने की धमकी दिये जाने से बमुकाम चिरनोटिया तहसील जोबनेर उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। व श्रीमान को वाद की सुनवायी का अधिकार प्राप्त है।

6. यह कि बेअदाय कोर्ट फिस दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 2/– रूपये की कोर्ट फिस पर पेश है जो पर्याप्त है।

7. यह कि प्रतिवादी सं03 लैण्ड होल्डर सरकार होने से उनको आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

8. यह कि वादीगण निम्न प्रार्थना का अधिकारी है–

(क) यह कि वादीगण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं01 व 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही वादीगण की उक्त आराजीयात की कोई सींव तोड़े, ना ही जबरन ट्रेक्टर चलाकर बाजोत करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादी करे, ना ही जबरन फंव्वारा डालकर सीचाई करे ना ही वादीगण को तारबन्दी करने से रोके, ना ही वादीगण की आराजीयात को प्रतिवादीगण सं01ल02 अपनी आराजीयात में नही मिलाए। ऐसा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने ऐजेन्ट, प्रतिनिधि, सरवेन्ट या नौकर इत्यादी से कराये व विवादग्रस्त आराजीयात की मौके व रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रतापसिंह   शोभाग कंवार   रामसिंह

(ख) यह कि अन्य सहायता जो वादीगण के हित में हो दिलवायी जावे व खर्चा मुकदमा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण

सत्यापन

मै प्रताप सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान का हूँ। और आज दिनांक 5/2/2024 को बमुकाम चिरनोटिया सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र का मद नं01ल05 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है। मद नं06 व 7 कानूनी है तथा मद नं08 प्रार्थना है जो कि सही व सत्य है। कोई तथ्य नही छिपाये है।

सत्यापनकर्ता

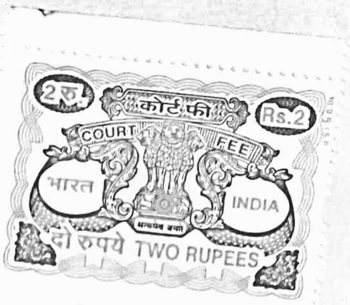

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर–ग्रामीण

वाद पत्र सं0............../2024

प्रतापसिंह बनाम सुगनसिंह वगै0

शपथ पत्र

मैं प्रताप सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान का हूँ। और निम्न प्रकार सशपथ बयान करता हूँ कि –

1. मै सशपथ बयान करता हूँ कि वाद पत्र का मद न0. 1ल08 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नही छिपाया है।
2. यह है कि मद न0.1ल08 को इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर पढा जावें।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांक 5.12–.2024 को बमुकाम चिरनोटिया सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का मद नं01ल02 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नही छिपाया है।

शपथग्रहिता